



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-29012026-269638  
CG-HR-E-29012026-269638

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61]  
No. 61]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 27, 2026/माघ 7, 1947  
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 27, 2026/MAGHA 7, 1947

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)

अधिसूचना

गुरुग्राम, 2 जनवरी, 2026

सं. जेईआरसी (JERC): 1/2009.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं इस संबंध में आयोग को सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व प्रकाशन के बाद, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए), इसके द्वारा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों हेतु) (कार्य संचालन) विनियम, 2009 में और समय-समय पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और छठे संशोधन द्वारा संशोधित नियमों में निम्नलिखित संशोधन करता है।

## 1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और विस्तार

- (1) इन विनियमों को संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) (कार्य संचालन) (7वां संशोधन) विनियम, 2025 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- (3) ये विनियम पूरे गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, लक्षद्वीप और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होंगे।

2. संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) (कार्य संचालन) विनियम, 2009 के अध्याय VIII के नियम 68 के तहत शुल्क और प्रभारों की अनुसूची एवं समय-समय पर किए गए चौथे और पांचवे संशोधन द्वारा संशोधित, को निम्नानुसार बदला जाता है: -

**शुल्क और प्रभारों की अनुसूची**

क्र. सं.	विवरण	शुल्क (रु. में)
1	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 9 की उप- धारा (2) के दूसरे प्रावधान के तहत पारेषण सुविधा की उपलब्धता के संबंध में विवाद का निपटारा।	मांगी गई पहली 1 मेगावाट पारेषण क्षमता के लिए 50,000 रु. (पचास हजार रु. मात्र) और उसके बाद प्रति मेगावाट 5,000 (पांच हजार रु. मात्र) अधिकतम 10,00,000 (दस लाख रु. मात्र) की शर्त के साथ।
2	प्रारंभिक लाइसेंस शुल्क :	
2(i)	अधिनियम की धारा 15 के तहत लाइसेंस मिलने पर आरंभिक लाइसेंस शुल्क	संबंधित सरकार द्वारा शुल्क तय होने पर "ऑन अकाउंट" पेमेंट (खाते पर भुगतान) के तौर पर 10,00,000 रु. (दस लाख रु. मात्र)
2(ii)	अधिनियम की धारा 15(1) के तहत लाइसेंस देने के लिए अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदन शुल्क	संबंधित सरकार द्वारा फीस तय होने तक "ऑन अकाउंट" पेमेंट (खाते पर भुगतान) के तौर पर 5,00,000 रु.(पांच लाख रु. मात्र)
3	वार्षिक लाइसेंस शुल्क:	
3(i)	एकीकृत उपयोग समेत पारेषण लाइसेंस, जिनका नेटवर्क 33kV से अधिक है	साल के दौरान या उसके कुछ हिस्से के लिए लागू पारेषण क्षमता अनुबंध के लिए 5000/- रु. (पांच हजार रु.) प्रति मेगावाट (MW), न्यूनतम 10,00,000 रु. (दस लाख रु. मात्र) के विषयाधीन।
3(ii)	वितरण लाइसेंस	प्रस्तावित बिक्री (जैसा कि याचिकाकर्ता ने प्रस्तावित किया है) से होने वाले राजस्व (कर एवं शुल्क को छोड़कर) का 0.20% और उस संबंधित वर्ष के लिए बिजली का वर्तमान प्रशुल्क (आयोग द्वारा अनुमोदित), न्यूनतम 10,00,000 रु. (दस लाख रु. मात्र) के विषयाधीन।
3(iii)	व्यवसाय लाइसेंस:	जेईआरसी (विद्युत व्यापार) विनियम, 2010 के उपनियम 6.5 के अनुसार
4	अधिनियम की धारा 17 के तहत पहले से मंजूरी मांगने वाले आवेदन।	जिस लेन-देन के लिए मंजूरी मांगी जा रही है, उसके मूल्य का 0.01% (शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत), न्यूनतम 5,00,000 रु. (पांच लाख रु. मात्र) और अधिकतम 20,00,000 रु. (बीस लाख रु. मात्र) के विषयाधीन।
5	अधिनियम की धारा 18 के तहत लाइसेंस में संशोधन हेतु आवेदन:	
5(i)	लाइसेंस द्वारा	5,00,000 रु. (पांच लाख रु. मात्र)
5(ii)	लाइसेंसधारी के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा	10,00,000 रु. (दस लाख रु. मात्र)

6	अधिनियम की धारा 19 की उप- धारा (2) के तहत लाइसेंस रद्द करने हेतु आवेदन	
6(i)	लाइसेंसधारी द्वारा	5,00,000 रु. (पांच लाख रु. मात्र)
6(ii)	लाइसेंसधारी के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा	10,00,000 रु. (दस लाख रु. मात्र)
7	अधिनियम की धारा 35 के तहत मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं का प्रयोग करने हेतु आवेदन	5,00,000 रु. (पांच लाख रु. मात्र)
8	अधिनियम की धारा 35 के प्रावधान के तहत अतिरिक्त क्षमता की सीमा के संबंध में विवाद का आवेदन	5,00,000 रु. (पांच लाख रु. मात्र)
9	धारा 36 की उप- धारा (1) के प्रावधानों के तहत दरों, शुल्कों, नियमों और शर्तों को तय करने के लिए आवेदन	10,00,000 रु. (दस लाख रु. मात्र)
10	अधिनियम की धारा 40 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 2 की उप- धारा (47) के तहत गैर- भेदभाव वाले मुक्त पहुँच के प्रावधान के संबंध में विवादों का आवेदन और उसके तहत बताए गए नियम, उपर बताया गया नोटः	
10(i)	किसी लाइसेंसधारी द्वारा या किसी उत्पादक कंपनी द्वारा उल्लिखित	10,00,000 रु. (दस लाख रु. मात्र)
10(ii)	उस व्यक्ति द्वारा उल्लिखित जिसने कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट बनाया है, उसका रखरखाव करता है और उसका संचालन करता है।	5,00,000 रु. (पांच लाख रु. मात्र)
10(iii)	उपभोक्ता/ उपभोक्ता प्रतिनिधि द्वारा उल्लिखित	2,00,000 रु. (दो लाख रु. मात्र)
11	विद्युत अधिनियम की धारा 2 की उप- धारा (47) के साथ- साथ धारा 42 के उप- खंड (2), (3) और (4) और उसके तहत बताए गए नियम के तहत गैर- भेदभाव वाले मुक्त पहुँच के प्रावधान से जुड़े विवादों का निपटाराः	
11(i)	किसी लाइसेंसधारी द्वारा या नीचे (ii) में बताई गई उत्पादक कंपनी के अलावा किसी दूसरी उत्पादक कंपनी द्वारा	10,00,000 रु. (दस लाख रु. मात्र)
11(ii)	किसी उत्पादक कंपनी द्वारा जो पहले से ही वितरण लाइसेंसधारी के वितरण प्रणाली से जुड़ी हुई है या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट बनाया, उसका रख- रखाव और संचालन कर रहा हो।	5,00,000 रु. (पांच लाख रु. मात्र)
11(iii)	उपभोक्ता/ उपभोक्ता प्रतिनिधि द्वारा	2,00,000 रु. (दो लाख रु. मात्र)
12	धारा 62 की उप- धारा (1) के नियम (क) के प्रावधानों के तहत आवेदक द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रशुल्क का निर्धारण	
12(a)(i)	परंपरागत ईंधन (कोयला, तेल आदि) आधारित संयंत्र	100 मेगावाट (MW) तक की क्षमता के लिए 25,00,000 रु. (पच्चीस लाख रु. मात्र) और प्रत्येक अतिरिक्त मेगावाट या उसके अंश के लिए 50,000 रु. (पचास हजार रु. मात्र)।
12(a)(ii)	परंपरागत हाइड्रो (25 मेगावाट(MW) से अधिक)	100 मेगावाट (MW) तक की क्षमता के लिए

		25,00,000 रु. (पच्चीस लाख रु. मात्र) और प्रत्येक अतिरिक्त मेगावाट या उसके अंश के लिए 20,000 (बीस हजार रु. मात्र)।
12 (b)	ऊर्जा के गैर- परंपरागत और नवीकरणीय स्रोत, जिसमें सह- उत्पादन भी शामिल है:	मेगावाट की स्थापित क्षमता के लिए 5,00,000 रु. (पांच लाख रु. मात्र) या 10 मेगावाट (MW) से अधिक क्षमता के लिए 10,00,000 रु. (दस लाख रु. मात्र)।
12(b)(i)	1 मेगावाट (MW) क्षमता से कम	5,00,000 रु. (पांच लाख रु. मात्र)
12(b)(ii)	1 मेगावाट (MW) और उससे अधिक क्षमता	प्रति मेगावाट क्षमता के लिए 5,00,000 रु. (पांच लाख रु. मात्र) और अधिकतम सीमा 20,00,000 रु. (बीस लाख रु. मात्र)
12(c)	नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजनाएं – नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं (सभी नवीकरणीय स्रोत) की परियोजना- विशिष्ट स्तर वाला प्रशुल्क निर्धारण)	
(i)	2.00 मेगावाट (MW) तक	5,00,000 रु. (पांच लाख रु. मात्र)
(ii)	2.00 मेगावाट (MW) से अधिक	10,00,000 रु. (दस लाख रु. मात्र)
13	धारा 62 के उप- खंड (1) के नियम (b) के प्रावधानों के तहत बिजली के पारेषण के लिए प्रशुल्क का सालाना/ आधार वर्ष तय करना, जिसका भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा: बशर्ते ये शुल्क तब भी देय होंगे चाहे यह निर्धारण लाइसेंसधारी के आवेदन पर हो या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा, या आयोग द्वारा स्वतः किया गया निर्धारण हो।	25,00,000 रु. (पच्चीस लाख रु. मात्र)
14	धारा 62 के उप- नियम (1) के नियम (डी) के प्रावधानों के तहत बिजली के सालाना टू अप, एपीआर (APR) और खुदरा एवं व्हीलिंग शुल्क का निर्धारण, जिसका भुगतान लाइसेंसधारी को करना होगा:  ऐसी फीस का निर्धारण लाइसेंसधारी या किसी दूसरे व्यक्ति के आवेदन पर या आयोग द्वारा स्वतः किया जाएगा।	प्रस्तावित बिक्री की प्रति 1000 यूनिट पर 1.25 रु. (एक रुपया और पच्चीस पैसा) (न्यूनतम दस लाख रु. मात्र)
15	टैरिफ ऑर्डर (प्रशुल्क आदेश) के सालाना टूइंग अप के लिए आवेदन (वित्त वर्ष 2024-25 तक) यदि अलग याचिका के तौर पर दायर किया जाता है	2,00,000 रु. (दो लाख रु. मात्र)
16	प्रशुल्क आदेश के वार्षिक टूइंग अप का आवेदन (वित्त वर्ष 2025-26 के और उसके बाद के लिए)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. पारेषण लाइसेंसधारी: प्रत्येक टूअप वर्ष के लिए 20,00,000 रु. (बीस लाख रु. मात्र)</li> <li>2. वितरण लाइसेंसधारी: टूइंग अप याचिका में बताए अनुसार, प्रत्येक 1000 यूनिट की वास्तविक बिक्री पर 1.25 रु., टूइंग अप के प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम 10,00,000 रु. (दस लाख रु. मात्र) के विषयाधीन।</li> <li>3. उत्पादक कंपनी: प्रत्येक मेगावाट क्षमता के लिए 1,00,000 रु. (एक लाख रु. मात्र) और</li> </ol>

		टू अप के प्रत्येक वर्ष के लिए 15,00,000 रु. (पंद्रह लाख रु. मात्र) की सीमा। ध्यान दें: संयुक्त लाइसेंसधारी जो समेकित याचिका दायर कर रहे हैं, उन्हें केवल वितरण लाइसेंस का ही शुल्क देना होगा।
17	बहु-वर्ष प्रशुल्क रूपरेखा के तहत नियंत्रण अवधि के दौरान प्रशुल्क और लाइसेंसधारी के प्रदर्शन की सालाना प्रदर्शन समीक्षा, जिसका भुगतान लाइसेंसधारी करेगा।	10,00,000 रु. (दस लाख रु. मात्र)
18	लाइसेंसधारी/उत्पादक कंपनी द्वारा आदेश की समीक्षा हेतु याचिका	5,00,000 रु. (पांच लाख रु. मात्र)
19	(i) उपभोक्ता द्वारा दायर समीक्षा याचिका  (ii) उपभोक्ताओं के समूह/संघ द्वारा दायर समीक्षा याचिका	(i) 50,000 रु. (पचास हजार रु. मात्र)  2,00,000 रु. (दो लाख रु. मात्र)
20	लाइसेंसधारी द्वारा दायर विद्युत खरीद अनुबंध या विद्युत खरीद दर के लिए याचिका।	10,00,000 रु. (दस लाख रु. मात्र)
21	अधिनियम की धारा 45 और धारा 46 के तहत वितरण लाइसेंसधारी के शुल्क अनुसूची की मंजूरी हेतु आवेदन	5,00,000 रु. (पांच लाख रु. मात्र)
22	लाइसेंसधारियों और उत्पादक कंपनियों के बीच एवं लाइसेंसधारियों के बीच विवादों का निपटारा, जो इन विनियमों में कहीं और शामिल नहीं है, धारा 86 की उप-धारा (1) के खंड (f) के तहत।	20,00,000 रु. (बीस लाख रु. मात्र)
23	अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के नियम (एफ/ f) के तहत पारित आदेश की समीक्षा हेतु आवेदन	5,00,000 रु. (पांच लाख रु. मात्र)
24	आयोग के आदेश/रिकॉर्ड की जांच के लिए आवेदन	1000 रु. (एक हजार रु. प्रति दिन) जिसकी अवधि 3 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।
25	आयोग के दस्तावेजों/आदेशों की प्रतियों की आपूर्ति	20 रु. (बीस रु.) प्रति पृष्ठ
26	अंतर्वर्ती आवेदन	50,000 रु. (पचास हजार रु. मात्र)
27	विविध आवेदन और अधिसूची में अनिर्दिष्ट कोई भी दूसरी याचिका	शुल्क का निर्धारण आयोग द्वारा मामले के आधार पर किया जाएगा।
28	व्यापार योजना की मंजूरी के लिए याचिका	10,00,000 रु. (दस लाख रु. मात्र)
29	लाइसेंसधारी के कार्य, नियम 2006 के नियम 3 के उप-नियम 1 के तहत जिलाधिकारी या पुलिस कमिश्नर या किसी अधिकृत अधिकारी के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका।	5,00,000 रु. (पांच लाख रु. मात्र)
30	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 67 की उपधारा (4) के तहत होने वाला विवाद (सड़कें, रेलवे आदि का बनना)	5,00,000 रु. (पांच लाख रु. मात्र)
31	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अंतर्गत शिकायत	शून्य
32	मध्यावधि समीक्षा शुल्क	1. पारेषण लाइसेंसधारी: 20,00,000 रु. (बीस

		लाख रु. मात्र)  2. वितरण लाइसेंसधारी: एमवाईटी (MYT) नियंत्रण अवधि के तीसरे वर्ष की प्रस्तावित बिक्री के प्रति 1000 यूनिट पर 1.25 रु. उत्पादक कंपनी: प्रति मेगावाट क्षमता के लिए 1,00,000 रु. (एक लाख रु. मात्र), अधिकतम सीमा 15,00,000 रु. (पंद्रह लाख रु. मात्र)
--	--	--

राजेश डांगी, सचिव (प्रभारी)  
[विज्ञापन-III/4/असा./636/2025-26]

## JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

### NOTIFICATION

Gurugram, the 2<sup>nd</sup> January, 2026

**No. JERC: 1/2009.**—In exercise of the powers conferred by Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling the Commission in this behalf and after previous publication, the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & Union Territories hereby makes the following amendments in the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & Union Territories (Conduct of Business) Regulations, 2009 and as amended by 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup>, 4<sup>th</sup>, 5<sup>th</sup> & 6<sup>th</sup> amendment from time to time.

#### 1. Short Title, Commencement and Extent

- (4) These Regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Conduct of Business) (7<sup>th</sup> Amendment) Regulations, 2025.
- (5) These Regulations shall come into force from the date of their publication in official Gazette.
- (6) These regulations extend to the State of Goa and the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry.
2. The schedule of fees and charges under Regulation 68 of Chapter VIII of the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & Union Territories (Conduct of Business) Regulations, 2009 and as amended by 4<sup>th</sup> & 5<sup>th</sup> amendment from time to time is replaced as under: -

#### SCHEDULE OF FEES & CHARGES

Sl. No.	DESCRIPTION	FEES (IN RS)
1	Adjudication of dispute regarding availability of transmission facility under the second proviso to sub-section (2) of Section 9 of the Electricity Act, 2003.	Rs 50,000 (Rupees Fifty Thousand only) for the first 1 MW of transmission capacity sought and Rs 5,000 (Rupees Five Thousand only) per MW thereafter, subject to a maximum of Rs 10,00,000 (Rupees Ten Lakh only)
2	Initial License Fees:	
2(i)	Initial license fee upon grant of license under Section 15 of the Act	Rs 10,00,000 (Rupees Ten Lakh Only) as “on account” payment pending determination of fees by the concerned Government
2(ii)	Application fee u/s 14 of the Act for grant of license under Section 15(1) of the Act	Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh Only) as “on account” payment pending determination of fees by the concerned Government

3	Annual license fees:	
3(i)	Transmission License inclusive of Integrated Utilities having network above 33kV	Rs 5000/- (Rupees Five hundred) per MW of transmission capacity contracts in force during the year or part thereof, subject to a minimum of Rs 10,00,000 (Rupees Ten Lakh only)
3(ii)	Distribution License	0.20% (percent) of revenues (excluding taxes, and duties) from the proposed sales (as proposed by the petitioner) and at existing tariff (approved by the Commission) of electricity for that respective year, subject to a minimum of Rs 10,00,000 (Rupees Ten Lakh only)
3(iii)	Trading License:	As per Clause 6.5 of JERC (Electricity Trading) Regulation, 2010
4	Application seeking prior approval under Section 17 of the Act.	0.01% (Zero-point zero one percent) of the value of the transaction for which approval is sought, subject to a minimum of Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only) and maximum of Rs 20,00,000 (Rupees Twenty Lakh only)
5	Application for amendment of licence under Section 18 of the Act:	
5(i)	By Licensee	Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only)
5(ii)	By any person other than a Licensee	Rs 10,00,000 (Rupees Ten Lakh only)
6	Application for Revocation of license under sub-section (2) of Section 19 of the Act	
6(i)	By Licensee	Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only)

6(ii)	By any person other than a Licensee	Rs 10,00,000 (Rupees Ten Lakh only)
7	Application under section 35 of the Act for seeking the use of intervening transmission facilities	Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only)
8	Application of dispute regarding extent of surplus capacity under the proviso to Section 35 of the Act.	Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only)
9	Application for determination of rates, charges, terms and conditions under proviso to sub-section (1) of Section 36	Rs 10,00,000 (Rupees Ten Lakh only)
10	Application of disputes regarding provision of non-discriminatory open access under sub-section (47) of Section 2 read with Section 40 of the Act and regulations specified thereunder, note covered above:	
10(i)	Referred by a Licensee or by a Generating Company	Rs 10,00,000 (Rupees Ten Lakh only)
10(ii)	Referred By person who has constructed and maintains and operates a Captive Generating Plant.	Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only)
10(iii)	Referred by Consumer/ Consumer Representative.	Rs 2,00,000 (Rupees Two Lakh only)

11	Adjudication of disputes regarding provision of non-discriminatory open access under sub-clause (47) of Section 2 read with sub-section (2), (3) and (4) of Section 42 of the Electricity Act and regulations specified thereunder:	
11(i)	By a Licensee or by a Generating Company other than a Generating Company referred to in (ii) below	Rs 10,00,000 (Rupees Ten Lakh only)
11(ii)	By a Generating Company already connected to the distribution system of a Distribution Licensee or by Person who has constructed maintains and operates a Captive Generating Plant	Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only)
11(iii)	By consumer/ Consumer Representative	Rs 2,00,000 (Rupees Two Lakh only)
12	Determination of Tariff under the provisions of clause (a) of Sub-Section (1) of Section 62 to be paid by the applicant:	
12(a)(i)	Conventional fuel based (coal, Oil etc.) Plant	Rs 25,00,000 (Rupees Twenty-Five lakh only) for capacity upto 100 MW and Rs 50,000 (Rupees Fifty Thousand only) for each additional MW or part thereof of capacity.
12(a)(ii)	Conventional Hydro (More than 25 MW)	Rs 25,00,000 (Rupees Twenty-Five lakh only) for capacity upto 100 MW and Rs 20,000 (Rupees Twenty Thousand only) for each additional MW or part thereof of capacity.
12(b)	Non – conventional & Renewable Sources of energy, including co-generation:	Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only) installed capacity of MW or Rs. 10,00,000 (Rupees Ten Lakh only) for capacity above 10 MW
12(b)(i)	Below 1 MW capacity	Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only)
12(b)(ii)	1 MW and above capacity	Rs 5,00,000 (Rupees Five lakh only) per MW of capacity with a ceiling of Rs 20,00,000 (Rupees Twenty lakh only)
12(c)	Renewable energy generation projects – Project specified levelized tariff determination of renewable energy generating projects (all renewable sources))	
(i)	Up to 2.00 MW	Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only)
(ii)	Above 2.00 MW	Rs 10,00,000 (Rupees Ten Lakh only)
13	Annual/ base year determination of tariff for transmission of electricity under the provisions of clause (b) of sub-section (1) of Section 62, to be paid by Licensee: Provided that such fees are payable whether such determination is upon application by the Licensee or by any other Person or suo- motu determination by the Commission.	Rs 25,00,000 (Rupees Twenty-Five Lakh only)



14	Annual True up, APR and determination of retail & W\wheeling charges of electricity under the provisions of clause (d) of sub-section (1) of Section 62, to be paid by Licensee:  Such fees determination is upon application by the Licensee or by any other Person or suo-motu determination by the Commission.	Rs 1.25 (Rupee One and Twenty-Five paise) per 1000 units of proposed sales (Minimum Rupees Ten Lakh only)
15	Application of Annual Truing up of Tariff Order (up to FY 2024-25) if filed as a separate petition	Rs 2,00,000 (Rupees Two Lakh only)
16	Application of Annual Truing up of Tariff Order (for FY 2025-26 onward)	<p>4. Transmission licensee: Rs 20,00,000 (Rupees Twenty Lakh only) for each year of true up</p> <p>5. Distribution licensee: Rs 1.25 per 1000 units of Actual sales as specified in truing up petition, subject to minimum of Rs 10,00,000 (Rupees Ten Lakh only) for each year of true up</p> <p>6. Generating Company: Rs 1,00,000 (Rupees one lakh only) per MW of capacity with a ceiling of Rs 15,00,000 (Rupees fifteen lakh only) for each year of true up</p> <p>Note: The combined licensee filing consolidated petition shall pay distribution license fee only.</p>
17	Annual performance review of tariffs and performance of the Licensee during the control period under a multi- year tariff framework, to be paid by the Licensee.	Rs 10,00,000 (Rupees Ten Lakh only)
18	Petition for review of Order by the Licensee/Generating Company	Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only)
19	(iii) Review Petition filed by the consumer  (iv) Review petition filed by a Group/Association of the consumers	<p>(ii) Rs. 50,000 (Rupees fifty Thousand only)</p> <p>(iii) Rs. 2,00,000 (Rupees two lakh only)</p>
20	Petition for Power Purchase Agreement or Power Procurement rate filed by the licensee.	Rs 10,00,000 (Rupees Ten Lakh only)
21	Application for approval of the schedule of charges of a Distribution Licensee under Section 45 and Section 46 of the Act	Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only)
22	Adjudication under clause (f) of sub- section (1) of section 86 of disputes between licensees and generating companies and between licensees themselves not covered elsewhere in these Regulations.	Rs 20,00,000 (Rupees Twenty Lakh only)
23	Application for review of Order passed under clause (f) of sub-section (1) of section 86 of the Act	Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only)

24	Application for inspection of Orders/Records of the Commission.	Rs 1000 (Rupees One Thousand per day) for a period not exceeding 3 hrs
25	Supply of copies of documents / order of the Commission	Rs 20 (Rupees Twenty) per page
26	Interlocutory application	Rs. 50,000 (Rupees Fifty Thousand only)
27	Miscellaneous application and any other Petition not specified in the Schedule	The fee will be determined by the Commission on case to case basis.
28	Petition for approval of Business Plan	Rs. 10,00,000 ((Rupees Ten Lakh only)
29	Petition for revision against the Order of the District Magistrate or Commissioner of Police or an authorised officer under sub rule 1 of Rule 3 of the works of Licensee, Rules 2006.	Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only)
30	Dispute arising under Section 67 sub section (4) of the Electricity Act, 2003 (Opening of Streets, Railways etc.)	Rs 5,00,000 (Rupees Five Lakh only)
31	Complaint u/s 142 of the EA, 2003	Nil
32	Fees for Mid-Term Review	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transmission licensee: Rs 20,00,000 (Rupees Twenty Lakh only)</li> <li>2. Distribution licensee: Rs 1.25 per 1000 units of proposed sales of 3rd year of the MYT Control Period</li> <li>3. Generating Company: Rs 1,00,000 (Rupees one lakh only) per MW of capacity with a ceiling of Rs 15,00,000 (Rupees fifteen lakh only)</li> </ol>

RAJESH DANGI, Secy. (I/c)

[ADVT.-III/4/Exty./636/2025-26]